# नये उद्यमों को विद्युत बिलों में प्रतिपूर्ति सहायता योजना नियमावली–2008

**(औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–488/औ.वि./VII-II-08/2008 दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–5(4) से अनुमोदित)**

| | |
|---|---|
| **1. संक्षिप्त नाम** | यह योजना नये उद्यमों को विद्युत बिलों में प्रतिपूर्ति सहायता नियमावली–2008 कहलायेगी। |
| **2. योजना का प्रारम्भ तथा पात्रता अवधि** | यह योजना 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगी। योजना प्रारम्भ होने की तिथि के पश्चात् स्थापित होने वाले पात्र नये उद्यमों को व्यवसायिक उत्पादन आरम्भ करने के दिनांक से अधिकतम 10 वर्ष अथवा 31 मार्च, 2018, जो भी पहले घटित हो, तक यह सुविधा उपलब्ध होगी। |
| **3. योजना का लागू होना** | यह योजना अधिसूचना दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–2 में वर्गीकृत राज्य के दूरस्थ व पर्वतीय जनपदों/क्षेत्रों में लागू रहेगी। |
| **4. विनिर्माणक तथा सेवा उद्यमों की परिभाषा** | **1.** नये अभिज्ञात अर्ह विनिर्माणक तथा सेवा उद्यम (Identified Eligible Manufacturing & Service Enterprises) से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जिन्हें औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–488/औ0वि0/VII-II-08/2008 दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–13 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नियमावली–2008 के अन्तर्गत प्रस्तर–1 व 2 में परिभाषित किया गया है।<br><br>**2.** सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम विनिर्माणक तथा सेवा उद्यम (Manufacturing & Service Enterprises) से आशय ऐसे उद्यम से है, जिसे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम विनिर्माणक तथा सेवा उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया हो तथा जिसकी स्थापना के लिए सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को उद्यमी ज्ञापन भाग–1 व 2 (EM Part-I & II) फाईल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो। |

3. बृहत उत्पादक तथा सेवा उद्यम से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जिनका अचल पूंजी निवेश सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अध्याय–3, धारा–7 में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों हेतु निर्धारित पूंजीगत् निवेश से अधिक हो तथा जिसके लिए भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में एस.आई.ए. (Secretariat of Industrial Assistance)/आई.ई.एम. (Industrial Entreprenuer's Memorandum)/आशय पत्र (Letter of Intent) (जैसी भी स्थिति हो) फाईल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो।

4. विद्युत दर से तात्पर्य प्रति इकाई विद्युत उपभोग मूल्य से है, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरोपित विद्युत उपभोग कर/उपकर/उच्च भार छूट कर/विलम्ब शुल्क/शीतकालीन व ईधन समायोजन कर आदि सम्मिलित नहीं होंगे।

**5. विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता हेतु पात्र गतिविधियां एवं प्रतिपूर्ति सहायता मात्रा/सीमा**

1. विनिर्माणक (Manufacturing) एवं सेवा क्षेत्र के ऐसे सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा बृहत उद्यम, जिन्हें अपात्र चिन्हित उद्यमों में सम्मिलित नहीं किया गया है तथा जिनकी विद्युत की कुल आवश्यकता पात्रता की सीमा के अन्तर्गत हो, को कुल स्वीकृत/संयोजित विद्युतभार में से उपभोग किये गये विद्युत बिल के भुगतान करने पर निम्नलिखित प्रकार से प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य होगीः–

   **(i)** भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 7 जनवरी, 2003 के Annexture-2 में अधिसूचित थ्रस्ट उद्योगों के अन्तर्गत **Sl. No. 6:** Sugar and its by-products, **Sl. No. 10:** Sports goods and articles & equipment for general physical excise and equipment for adventure sports/activities, tourism (to be separately specified), **Sl. No. 11:** Paper & Paper products excluding those in negative list (as per excise classification, **Sl. No. 12:** Pharma Products, **Sl. No. 13:** Computer Hardware, **Sl. No. 15:** Eco-tourism Units, such as Hotels, Resorts, Spa, Entertainment/amusement parks and ropeways and **Sl.**

**No. 16:** Industrial gases (based on atmospheric fraction) गतिविधि को छोड़कर अन्य सभी अनुमन्य गतिविधियों पर जिनकी विद्युत की कुल आवश्यकता 100 के.वी.ए. अथवा उससे कम हो, को संयोजित विद्युतभार में से प्रत्येक मॉह में उत्पादन/सेवा कार्य हेतु कुल उपभोग किये गये विद्युत मूल्य/बिल के भुगतान करने पर 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति सहायता के रूप में अनुमन्य होगा।

**(ii)** अन्य सभी अनुमन्य गतिविधियों, जिनमें उत्पादक (Manufacturing) तथा सेवा क्षेत्र (Service Sector) के चिन्हित उद्यमों (अधिक खपत करने वाले उद्यमों को छोड़कर) को सम्मिलित किया गया है, को 500 केवीए संयोजित विद्युतभार तक, प्रत्येक मॉह में उत्पादन/सेवा कार्य हेतु कुल उपभोग किये गये विद्युत मूल्य/बिल के भुगतान करने पर 50 प्रतिशत तथा 500 केवीए से अधिक के संयोजित विद्युतभार पर प्रत्येक मॉह में उत्पादन/सेवा कार्य हेतु कुल उपभोग किये गये विद्युत मूल्य/बिल के भुगतान करने पर 30 प्रतिशत की छूट प्रतिपूर्ति सहायता के रूप में अनुमन्य होगी।

2. अधिसूचना दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–4(ब) में उल्लिखित उद्यमों, यथाः होटल/मोटल, रिसॉर्ट, गेस्ट हाउस, स्टील रौलिंग मिल्स, इलैक्ट्रिक फर्नेस तथा अन्य इकाईयॉ, जो अधिक विद्युत खपत करती हैं, इस छूट की पात्र नहीं होंगी।

3. अधिक विद्युत खपत करने वाले उद्यमों के अन्तर्गत चिन्हित निम्नांकित उत्पादों का विनिर्माण करने वाले उद्यम भी इस सुविधा के पात्र नहीं होंगेः–

| | | | |
|---|---|---|---|
| **(i)** | Synthetic Fiber, Man Made Fiber, Rayon | **(ii)** | Tyres and Tubes of Rubber Manufacturing |
| **(iii)** | Synthetic Rubber | **(iv)** | Chemicals |
| **(v)** | Paper, Straw Board, Pulp, Card Board | **(vi)** | Glass Manufacturing |
| **(vii)** | Acetylene and Oxygen | **(viii)** | Solvent Extraction Plant |
| **(ix)** | Galvanizing, heat treatment, induction | **(x)** | Alumunium refining and manufacturing |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | heating running on continuous basis | | |
| **(xi)** | Camphor | **(xii)** | Cement |
| **(xiii)** | Sulpuric Acid with contact process | **(xiv)** | Caustic Soda |
| **(xv)** | Oxygen for medical purpose | **(xvi)** | Distilleries and Breweries |
| **(xvii)** | Vanaspati involving Hydrogenation process(not applicable to refined oils) | **(xviii)** | Drug Manufacturing Industries having fermentation process and having contracted load more than 1 MVA |
| **(xix)** | Chemical Fertilizers | **(xx)** | Rubber emulsifier |

4. सभी अनुमन्य विनिर्माणक उद्यमों में उत्पादन एवं कार्यालय तथा सेवा क्षेत्र सम्बन्धी उद्यमों में सेवा इकाई एवं कार्यालय में खपत होने वाली विद्युत के बिलों के भुगतान पर ही प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य होगी। विनिर्माणक उद्यमों के आवासीय अथवा अन्य गैर उत्पादक क्रियाकलापों (Advertize & show) पर उपयोग की गई विद्युत के मूल्य में प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य नहीं होगी। कुल संयोजित विद्युतभार में से उत्पादन/सेवा कार्य व कार्यालय में उपभोग किये गये विद्युत तथा आवासीय एवं अन्य गैर अनुत्पादक क्रियाकलापों पर उपभोग विद्युत का आंकलन ऊर्जा निगम के द्वारा विद्युत संयोजन देते समय सुनिश्चित कर तद्विषयक प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा तथा जिसके आधार पर ही प्रतिपूर्ति दावे स्वीकृत किये जायेंगे।

**6. विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता के संवितरण हेतु विनिर्दिष्ट एजेन्सी**

विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता के संवितरण हेतु राज्य का उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करेगा।

**7. विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता की स्वीकृति/संवितरण हेतु प्रकिया**

पात्र उद्यमों को निर्धारित आवेदन पत्र में निम्नांकित सहपत्रों/अभिलेखों के साथ सम्बन्धित जिले के जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगाः–

1. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम की स्थापना के पश्चात् सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में फाइल किये गये उद्यमिता ज्ञापन भाग–2 की अभिस्वीकृति की सत्यापित प्रति।

2. बृहत उद्यम की स्थापना हेतु भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक सहायता सचिवालय में फाईल किये गये एस.आई.ए./आई.ई.एम./एल.ओ.आई. की अभिस्वीकृति की सत्यापित प्रति।

3. जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी व्यवसायिक उत्पादन प्रमाण पत्र।

4. विद्युतभार स्वीकृति पत्र तथा विद्युत मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट की प्रमाणित प्रति।

5. वैध विद्युत बिल तथा इसके भुगतान प्राप्ति रसीद की प्रमाणित प्रति।

6. निश्चित समय पर विद्युत बिल का भुगतान करने के पश्चात् तीन माह के अन्दर जिला उद्योग केन्द्र में दावा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। अपरिहार्य कारणों से हुये विलम्ब को गुणदोष के आधार पर माफ किया जा सकेगा।

7. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र दावा प्राप्त होने पर दावे का परीक्षण कर विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नियमावली–2008 के अन्तर्गत अनुदान एवं सहायता की स्वीकृति हेतु गठित जिला स्तरीय प्राधिकृत समिति में दावा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे। समिति से स्वीकृति मिलने पर सम्बन्धित इकाई को दावे की स्वीकृति की संसूचना दी जायेगी। उद्योग निदेशालय बजट आवंटन होने पर सम्बन्धित जनपद को बजट की उपलब्धता के आधार पर मांगी गई धनराशि का आवंटन करेगा। धनराशि प्राप्त होने पर महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सम्बन्धित इकाई को स्वीकृत धनराशि संवितरित की जायेगी।

8. विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता केवल व्यवसायिक उत्पादन तथा सेवा कार्य हेतु उपभोग की गई विद्युत की विद्युत नियामक आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विद्युत दरों (Electricity tarrif), जिनमें विद्युत कर/उपकर, विलम्ब शुल्क आदि सम्मिलित नहीं होगा, पर ही अनुमन्य होगी।

| | | |
|---|---|---|
| **8. प्रतिपूर्ति सहायता की वसूली** | **1.** | यदि उद्यम द्वारा तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर अथवा कोई तथ्य छुपाकर सहायता प्राप्त की गई हो। |
| | **2.** | प्रतिपूर्ति सहायता की अर्हता के लिए विनिर्माणक तथा सेवा उद्यम का नियमित उत्पादनरत्/कार्यरत् रहना अपेक्षित है। उद्यमी द्वारा व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् न्यूनतम 5 वर्ष तक अपना उद्यम चालू रखना होगा। नियंत्रण से परे कारणों पर निर्णय के लिये निदेशक उद्योग सक्षम प्राधिकारी होंगे। |
| | **3.** | छूट सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में कोई जानकारी मॉगे जाने पर सूचना उपलब्ध न कराने अथवा प्रस्तर–9(1) व (2) में उल्लिखित शर्तों के पालन न होने पर छूट सहायता की वसूली एक मुश्त राजस्व वसूली के सदृश्य की जा सकेगी। |